

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Members/Ministers.

HON. SPEAKER: Now Papers to be Laid.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (RAO INDERJIT SINGH): On behalf of Shri M. Venkaiah Naidu, I beg to lay on the Table a copy of Notification No. S.O.1544(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 27th April, 2016, appointing the 1st day of May, 2016 as the date on which the provisions, mentioned therein, of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 shall come into force under sub-section (3) of Section 1 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 4942/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (RAO INDERJIT SINGH): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
- (i) Review by the Government of the working of the Mumbai Metro Rail Corporation Limited, Mumbai, for the year 2014-2015.
 - (ii) Annual Report of the Mumbai Metro Rail Corporation Limited, Mumbai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4943/16/16]

- (3) A copy of Notification No. S.O.1265(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 31st March, 2016, continuing to assign the additional charge of the post of Claims Commissioner for Delhi Metro Rail Corporation Limited to Shri Satish Chandra, General Manager (Legal), DMRC for a further period upto 3rd July, 2016 or until further orders, whichever is earlier, for the purpose of adjudicating upon claims for compensation in respect of accidents involving the death of, or bodily injury to person, or damage to any property arising out of the working of the Delhi Metro issued under Section 48 of the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002.

[Placed in Library, See No. LT 4944/16/16]

*m03

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिवालय और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24की उप-धारा (4) के अधीन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 673 (अ) जो 8 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं,की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4945/16/16]

- (2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेगे :-
- (एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2016, जो 21 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 326(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2016, जो 21 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 327(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) दूसरा संशोधन विनियम, 2016, जो 19 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 426(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2016, जो 29 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 467(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (पाँच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2016, जो 29 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 468(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन नियम, 2016, जो 29 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 469(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2016, जो 29 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 470(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौथा संशोधन नियम, 2016, जो 7 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 583(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन विनियम, 2016, जो 7 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 584(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (ज्येष्ठता सूची का विनियमन) संशोधन नियम, 2016, जो 10 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 495(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 4946/16/16]

*m04

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): महोदय, मैं श्री मनोज सिन्हा की तरफ से भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2016 जो 28 मई, 2016 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 80 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 4947/16/16]

*m05

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table a copy of the 26th Progress Report (Hindi and English versions) on the Action Taken pursuant to the Recommendations of the Joint Parliamentary Committee on Stock Market Scam and matters relating thereto, June, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4948/16/16]

12.04 hours

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS'

BILLS AND RESOLUTIONS

24th Report